

जंगल गाथा

अप्रैल, 2013

स्वावलंबन, सहकार, स्वाभिमान एवं
जनजातीय संस्कृति के लिए प्रतिबद्ध मासिक पत्रिका

वर्ष-6, अंक-6

सषरंग



- झारखंड में पंचायतों के अधिकार एवं कर्तव्य
- सिंगबोंगा की वापसी
- किसान : एक परिचय
- अम्बेडकर का राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान
- युवा विकास वाहिनी के माध्यम से होगा गांव का कायाकल्प
- पोषण वाटिका



विकास भारती बिशुनपुर

शोध एवं अध्ययन केन्द्र, आरोग्य भवन-1, बरियातु, राँची



झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची
झारखण्ड स्टेट लेबर वेलफेयर सोसाईटी (जसलॉज)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

(क) योजना का स्वरूप:

यह योजना केन्द्र सरकार के द्वारा प्रायोजित है। इस योजना के अधीन गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के मुखिया सहित पाँच सदस्यों को सालाना ₹ 30,000/- का स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाता है। बीमा अवधि के अन्तराल में परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे स्वतः भोश बीमा अवधि के लिए योजना में शामिल माने जाते हैं।

बीमा अवधि के द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में भर्ती होकर ईलाज कराने पर सालाना ₹ 30,000/- तक का ईलाज खर्च बीमा कम्पनी द्वारा अस्पतालों को भुगतान किया जाएगा। लाभुकों को अस्पताल तक आने-जाने के लिए प्रत्येक बार ₹ 100/- अधिकतम सालाना ₹ 1000/- का भुगतान तथा मरीज के लिए आव यकतानुसार भोजन, दवा इत्यादि की व्यवस्था अस्पताल द्वारा की जाएगी।

(ख) योजना की पात्रता :

बी०पी०एल० परिवार, मनरेगा कर्मी (जिन्होंने विगत वित्तीय वर्ष में कम से कम 15 दिन तक कार्य किया हो), घरेलू कामगार, बीड़ी मजदूर, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार, स्ट्रीट भेण्डर इत्यादि इस योजना से आच्छादन के पात्र हैं।

(ग) प्रोत्साहन :

लाभुकों को सूचीबद्ध अस्पताल लाने के लिए प्रत्येक मामले में सहिया/आंगनबाड़ी सेविका को ₹ 100/- प्रोत्साहन राशि के रूप में अस्पताल के द्वारा भुगतान किया जाता है।

(घ) स्मार्ट कार्ड के उपयोग की सुविधा :

अस्पताल में स्मार्ट कार्ड के उपयोग में परेशानी आने पर परिवार के सदस्यों, यदि वे अलग-अलग स्थानों पर रहते हों, को अधिकतम दो स्मार्ट कार्ड निर्गत करवाने तथा आयु, लिंग, अंगूठे का निशान इत्यादि किसी भी प्रविष्टि में त्रुटि सुधार हेतु जिले के स्थानीय कियोस्क से सम्पर्क किया जा सकता है।

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें :-

- प्रखण्ड में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी
- जिला में डी०के०एम०/डी०पी०एम०/सहायक श्रमायुक्त/उपश्रमायुक्त/जसलॉज कार्यालय, राँची क्षेत्र की आंगनबाड़ी सेविका/सहिया।
- टॉल फ्री नम्बर : 18003456540, कार्यालय, दूरभाष- 0651-2480458, श्रम भवन, डोरण्डा, राँची।

RSBY सालाना ₹ 30,000/- का ईलाज बिल्कुल मुफ्त **RSBY**

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार
द्वारा जनहित में जारी।

06 (प्रचार प्रसार) RSBY - 04/2013-173